

05/07/24 पत्रावली पेश हुई। मूल काद प्रती अर्थात् कि
निवेदन पर जरिये विज्ञापित खातिज किया जा
चुका है। अतः पत्रा. अन्तर्गत धारा 212
अधीन होने से खातिज ही जाती है।
पत्रावली फलतः सुमार लेकर दाखिल करा
हो।



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

